



2026:AHC:31288-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - **2097/2026**

कालू राम मीणा और 15 अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमलेश कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: एस.पी. सिंह (ए.एस.जी.आई.), जिनासा सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 03.09.2025 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है। मूल आवेदन दिनांक 01.05.2024 के आदेश की वैधता को चुनौती देने और प्रतिवादियों को अधिसूचना दिनांक 06.09.2019 के माध्यम से 10% 'लेटरल इनटेक कोटा' (पार्श्व प्रवेश कोटा) के तहत अन्य विभागों में 'ट्रैक मेंटेनर IV' के समायोजन की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग हेतु दायर किया गया था।
2. दलीलें दी गईं कि अन्य विभागों में 10% लेटरल रिक्ति के विरुद्ध ट्रैक मेंटेनर IV के समायोजन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुल 69 पद दर्शाए गए थे। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया था और वे स्थानांतरण के पात्र हैं, फिर भी प्रतिवादियों ने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं को स्थानान्तरित न करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में किए गए प्रत्यावेदनों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।

3. अधिकरण के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से दलीलें दी गईं कि ट्रैक मंटेनर IV लेवल-1 के कैडर में भारी रिक्तियां हैं और IREM वॉल्यूम-1 का ACS-285 यह प्रावधान करता है कि लेटरल ट्रांसफर (पार्श्व स्थानान्तरण) तब किया जाएगा जब सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जब तक ट्रैक मंटेनर IV के कैडर में रिक्तियां नहीं भरी जातीं, तब तक लेटरल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
4. पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ACS-285 का पालन किया जाना आवश्यक है। ट्रैक मंटेनर IV के कैडर में रिक्तियों की तथ्यात्मक स्थिति से इनकार नहीं किया गया है और लेटरल ट्रांसफर का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया।
5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि अधिकरण द्वारा ओ.ए. को खारिज करना न्यायोचित नहीं था, क्योंकि लेटरल ट्रांसफर के स्थान पर रिक्तियां उपलब्ध हैं और 69 रिक्तियां दर्शाने वाली अधिसूचना दिनांक 06.09.2019 जारी होने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है।
6. यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि अन्य रेलवे में, ट्रैक मंटेनर IV के कैडर में रिक्ति होने के बावजूद, लेटरल ट्रांसफर की अनुमति दी गई है।
7. याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने ट्रैक मंटेनर IV के कैडर में भारी रिक्ति होने का निरंतर पक्ष लिया है और लेटरल ट्रांसफर से इनकार किया है, भले ही इसके लिए अधिसूचना दिनांक 06.09.2019 जारी की गई थी।
8. एक बार जब यह स्वीकृत तथ्य है कि ट्रैक मंटेनर IV के कैडर में रिक्तियां मौजूद हैं, तो प्रतिवादियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे ट्रैक मंटेनर्स को पार्श्व रूप से अन्य विभागों में स्थानान्तरित करें जिससे कैडर में रिक्तियां और बढ़ें। अन्य रेलवे से संबंधित तर्क किसी भी ठोस सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. इस दृष्टि से, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 12, 2026

संदीप/ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"